# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

**पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.**

**पत्रावली संख्या : 128/22 (प्रा0पत्र)**

**GCMS No. : 2022/476**

**अनवान्**

1. श्रीमती मैना कुंवर पिता रायसिंह पत्नी मोहनसिंह राजपूत निवासी डलाकिशनपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
2. श्रीमती जसु बाई पिता रायसिंह पत्नी प्रेमसिंह राजपूत निवासी चमनपुरा मावली तहसील मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामसिंह पिता रायसिंह राजपूत निवासी बांसलिया तहसील मावली।
2. श्री दशरथसिंह पिता रायसिंह राजपूत निवासी बांसलिया तहसील मावली।
3. श्री राजेन्द्रसिंह पिता कालुसिंह राजपूत निवासी भीमल तहसील मावली।
4. उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

**दिनांक : 06.06.2025**

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 729, 730 किता 10 कुल रकबा 2.1771 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/12 हिस्सा, प्रार्थीगण तथा पुष्करसिंह व दिपा कुंवर, सुशिला कुंवर, रिना कुंवर की माता दर्शन कुंवर की माता सविता कुंवर के नाम 1/12 हिस्सा व अन्य हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 443, 460, 473 किता 3 कुल रकबा 1.4002 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/12 हिस्सा, प्रार्थीगण तथा पुष्करसिंह व दिपा कुंवर, सुशिला कुंवर, रिना कुंवर की माता दर्शन कुंवर की माता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:21 IST
Reason: SelfAttested

सविता कुंवर के नाम 1/12 हिस्सा व अन्य हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हैं। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 728, 731, 734 किता 3 कुल रकबा 0.6152 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/24 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/24 हिस्सा, प्रार्थीगण तथा पुष्करसिंह व दिपा कुंवर, सुशिला कुंवर, रिना कुंवर की माता दर्शन कुंवर की माता सविता कुंवर के नाम 1/24 हिस्सा व अन्य सहखातेदारों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हैं।

2. यह कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 2 व हंसा कुंवर, पुष्करसिंह, दीपा कुंवर, सुशिला कुंवर, रीना कुंवर के खानदान का सजरा निम्न है :–

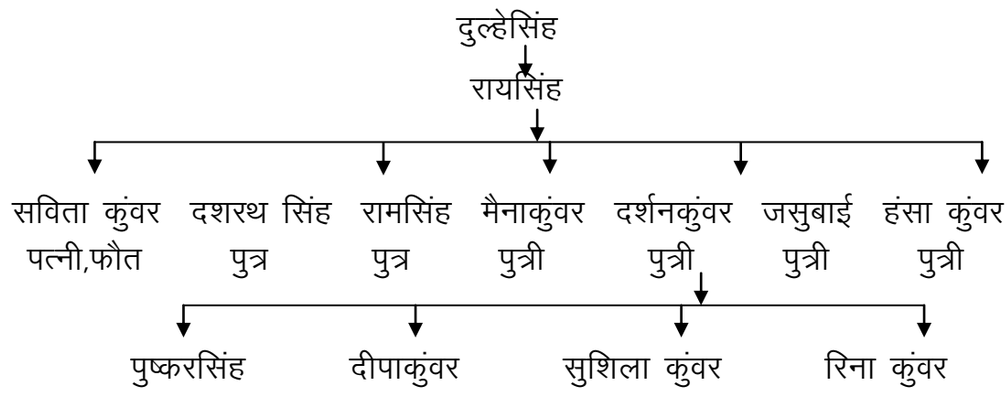


उक्त सजरे में दुल्हेसिंह, रायसिंह, सविता कुंवर, दर्शन कुंवर की मृत्यु हो चुकी हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा पुष्करसिंह व दिपा कुंवर, सुशिला कुंवर, रिना कुंवर की मौरूसी जायदाद होकर प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा पुष्करसिंह व दिपा कुंवर, सुशिला कुंवर, रिना कुंवर के मौरूस दुल्हेसिंह के समय से चली आ रही है व उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा पुष्करसिंह व दिपा कुंवर, सुशिला कुंवर, रिना कुंवर का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् जन्म से ही हक व अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परिशिष्ट क व ख में अंकित आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा व विपक्षी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा, हंसा कुंवर का 1/24 हिस्सा तथा पुष्करसिंह, दिपा कुंवर, सुशिला कुंवर, रिना कुंवर की माता दर्शन कुंवर का 1/24 हिस्सा है व इसी हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसी तरह परिशिष्ट ग में अंकित आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 का 1/48 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/48 हिस्सा, हंसाकुंवर का 1/48 हिस्सा तथा पुष्करसिंह, दिपा कुंवर, सुशिला कुंवर, रिना कुंवर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:21 IST
Reason: SelfAttested

माता दर्शन कुंवर का 1/48 हिस्सा है व इसी हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

4. यह कि वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित हिस्सेनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है तथा प्रार्थीगणों के पिता रायसिंह जी की मृत्यु सन् 1997 में हो जाने से विपक्षी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रार्थीगणों के पिता रायसिंह जी के विरासत का नामान्तरण संख्या 243 दिनांक 16.09.1997 को विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा प्रार्थीगणों की माता सविता कुंवर के नाम खुलवा कर स्वीकृत करवा लिया जबकि उक्त आराजीयात में प्रार्थीगणों का भी हक व अधिकार है इसलिए विपक्षी संख्या 1 व 2 को अकेले को रायसिंह जी के विरासत का नामान्तरण अपने नाम खुलवाने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं था तथा ऐसे गलत विरासत के नामान्तकरण के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा ऐसा नामान्तरकरण प्रार्थीगणों के मुकाबले बेअसर व शून्य है। विपक्षी संख्या 2 ने गलत विरासत का नामान्तरण खुलवाकर परिशिष्ट क व ख में अंकित आराजीयात में अपना 1/12 हिस्सा तथा परिशिष्ट ग में 1/24 हिस्सा बताते हुए दिनांक 11.10.2022 को नुमाईशी विक्रय पत्र राजेन्द्रसिंह के पक्ष में लिख नुमाईशी विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करा दी है जो प्रार्थीगणों के मुकाबले बेअसर व शुन्य है तथा ऐसे नुमाईशी विक्रय पत्र से राजेन्द्रसिंह को भी कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है क्योंकि विपक्षी संख्या 2 परिशिष्ट क व ख में अंकित आराजीयात में 1/12 हिस्सा व परिशिष्ट ग में अंकित आराजीयात में 1/24 हिस्सा ही नहीं है तो विपक्षी संख्या 1 को अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा राजेन्द्रसिंह को भी ऐसे नुमाईशी विक्रय पत्र में गलत अंकित हिस्से के आधार पर कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है, न विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क व ख में अंकित आराजीयात में 1/12 हिस्से का व परिशिष्ट ग में अंकित आराजीयात में 1/24 हिस्से का कब्जा राजेन्द्रसिंह को सिपूर्द किया है, न विपक्षी संख्या 2 उक्त हिस्से का कब्जा सिपूर्द कर सकता है। नुमाईशी विक्रय पत्र में उक्त हिस्से का कब्जा सिपूर्द करने का अंकन गलत अंकित किया है, जब विपक्षी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में 1/12 व 1/24 हिस्सा ही नहीं है तो उक्त हिस्से का कब्जा राजेन्द्रसिंह को सिपूर्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं।

5. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगणों के पिता रायसिंह जी की विरासत से विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा प्रार्थीगणों की माता सविता कुंवर के नाम ही दर्ज होने से तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगणों की माता सविता कुंवर की मृत्यु हो जाने से विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम उक्त आराजीयात गलत दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर विक्रय हस्तान्तरण करने पर उतारू है तथा विपक्षी संख्या 2 ने नुमाईशी विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या 3 को अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय कर दी है इसलिए प्रार्थीगणों को अपने हिस्से की आराजीयात के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है इसलिए घोषणा का वाद आप न्यायालय में पेश कर दिया हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम गलत दर्ज होने से तथा विपक्षी संख्या 2 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि को राजेन्द्रसिंह को नुमाईशी विक्रय पत्र से विक्रय कर नुमाईशी विक्रय पत्र की रजिस्ट्री दिनांक 11.10.22 को करा देने से व राजेन्द्रसिंह उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण की कार्यवाही करवा कब्जा करने पर उतारू है इसलिए विपक्षीगणों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया है कि विपक्षीगण उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगणों को अपने हिस्से की आराजीयात का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करने देवे, प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे, प्रार्थीगणों को अपने हिस्से की आराजीयात से फसल बोने व फसल लेने में कोई रूकावट पैदा नहीं करे, राजेन्द्रसिंह उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 4 व 6 से मिलीभगत कर नामान्तरण की कार्यवाही नहीं करावे, न नामान्तरण खुलवा स्वीकृत करावे, न उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर वाद वर्णित आराजीयात में ताकत के बल पर कब्जा करे, न विक्रय हस्तान्तरण बैह बक्षीस ही करे, मौके व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाए रखें।

7. यह कि विपक्षीगणों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगणों को कोई नुकसान व क्षति नहीं होगी बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीगणों को भारी नुकसान व क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपये पैसों में किया जाना सम्भव नहीं हैं। प्रार्थीगणों का प्राइमाफैसी केस है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगणों के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 27.10.2022 को पैदा हुआ जब विपक्षी संख्या 2 ने नुमाईशी विक्रय पत्र से राजेन्द्रसिंह को अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने की जानकारी प्रार्थीगणों को हुई व विपक्षी संख्या 2 मौके पर राजेन्द्रसिंह को कब्जा देने का असफल प्रयास किया व विपक्षीगणों ने धमकी दी कि उक्त आराजीयात को विक्रय हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगे तब पैदा हुआ व पैदा होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगणों के पक्ष में व विपक्षीगणों के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगणों को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:21 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से की आराजीयात का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक करने देवे, प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे, प्रार्थीगणों को अपने हिस्से की आराजीयात से फसल बोने व फसल लेने में कोई रूकावट पैदा नहीं करे, विपक्षी संख्या 3 उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 4 व 6 से मिलीभगत कर नामान्तरण की कार्यवाही नहीं करावे, न नामान्तरण खुलवा स्वीकृत करावे, न उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में ताकत के बल पर कब्जा करे, न विक्रय हस्तान्तरण बैह बक्षीस ही करे, मौके व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाए रखें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
9. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
10. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1, 2 व प्रार्थीगण तथा पुष्करसिंह व दीपा कुंवर, सुशिला कुंवर, रिना कुंवर की माता दर्शन कुंवर की माता सविता कुंवर व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पति है तथा मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 व सविता कुंवर के नाम रायसिंह जी की मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर दर्ज हुई हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरा खानदान अनुसार मृतक खातेदार रायसिंह प्रार्थीगण के पिता होना जाहिर होता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:21 IST
Reason: SelfAttested

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिगदीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

11. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 72 पर दर्ज आराजी नम्बर 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 729, 730 किता 10 कुल रकबा 2.1771 हेक्टेयर, खाता संख्या 71 पर दर्ज आराजी नम्बर 443, 460, 473 किता 3 कुल रकबा 1.4002 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 728, 731, 734 किता 3 कुल रकबा 0.6152 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 व सविता कुंवर तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता रायसिंह पिता दुल्हेसिंह के नाम दर्ज थी एवं रायसिंह की मृत्यु के पश्चात् विरासत के आधार पर प्रार्थीगण के भाई विपक्षी संख्या 1, 2 व माता सविता कुंवर के नाम दर्ज होना जाहिर होता हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होकर प्रार्थीगण का जन्म से ही हक निहित है। भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 10.11.2022 से विपक्षीगण के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:21 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर **RLW 2005(2) page 219,** में **"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल में पिता की पैतृक सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया – भूमि हस्तान्तरण की आशंका – अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।"** माननीय न्यायालय की उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौजा बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 72 पर दर्ज आराजी नम्बर 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 729, 730 किता 10 कुल रकबा 2.1771 हेक्टेयर, खाता संख्या 71 पर दर्ज आराजी नम्बर 443, 460, 473 किता 3 कुल रकबा 1.4002 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 728, 731, 734 किता 3 कुल रकबा 0.6152 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1, 2 व सविता कुंवर के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। शेष सभी अन्य सहखातेदारों पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावहीन रहेगी।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) मावली**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:21 IST
Reason: SelfAttested